

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 31/2017-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 766(अ).—भारत सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 273, तारीख 25 अक्तूबर, 1958 को अधिकांत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 993(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए अधिक्रमण किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान करते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा छूट देती है कि डाक वस्तुओं की विषयवस्तु, जिसे मूलतः भारत में प्रेषित किया गया और किसी भी समय उनके मूल प्रेषित से डाकघर की अभिरक्षा में छोड़ा नहीं गया, भारत में डाकघर को बिना दावाकृत वापस किया जाता है, जो भारत में आयातीत है, अस्वीकृत या पुनः निदेशित किया गया है, कुल सीमाशुल्क को उद्गृहीत किया जाता है जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 7 के अधीन समेकित कर से उद्गृहीत किया जाता है :

परंतु जब किसी वस्तु का भारत से बाहर निर्यात किया जाता था तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता था ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 31/2017—Customs

G.S.R. 766(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.273 dated 25th October, 1958 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 993(E) dated the 25th October, 1958, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts, the contents of postal articles, which having originally been posted in India and not having left the custody of the post office at any time since their original posting, are imported into India on return to the post offices in India as unclaimed, refused or redirected, from the **whole of the duty of customs** leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); and from the whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act:

Provided that no drawback of duty was obtained when the article was exported from India.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/119/2017-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 32/2017-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 767(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसका यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल को और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल को, जब उन्हें भारत में आयात किया जाता है, उन पर उद्बहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है।

सारणी

क्र.सं.	माल का वर्णन	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1	भारतीय कलाकारों और मूर्तिकारों द्वारा विदेश में सृजित कलाकृतियाँ, चाहे भारत में ऐसे कलाकारों या मूर्तिकारों की वापसी पर आयात की गई हैं या भारत में उनके लौटने के पश्चात् ऐसे कलाकारों या मूर्तिकारों द्वारा आयात की जाती हैं।	
2	ऐसी पुस्तकें, जो एक सौ वर्ष से अधिक की आयु की पुरा वस्तुएं हैं।	यदि,- i. कला गैलरी का प्रचालन के करने वाला स्थापन स्वयं ऐसा आयातकर्ता है, जो ऐसी कलाकृतियों या पुरावस्तुओं का क्रेता या स्वामी है ; ii. आयातकर्ता, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष एक अभिवचन प्रस्तुत करता है कि इस प्रकार आयात किया गया माल सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए उपयोग किया जाएगा और आयात किए जाने के पश्चात् विक्रीत नहीं किया जाएगा या उसका व्यापार नहीं किया जाएगा और इस शर्त का अनुपालन करने की असफलता के मामले में वह उक्त माल की ऐसी मात्रा, जिसका विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए इस प्रकार उपयोग न किया जाना सिद्ध हो जाता है, के संबंध में ऐसी मात्रा पर उद्बहणीय शुल्क के बराबर रकम का संदाय तब करने का दायी होगा यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई हो ; और iii. आयातकर्ता, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करते हुए जारी करता है कि- (क) आयातकर्ता एक संग्रहालय या गैलरी चलाता है, जो जनता को अप्रतिबंधित पहुंच अनुज्ञात करती है ; और (ख) ऐसे संग्रहालय या गैलरी के आवास का निर्माण स्पष्टतया संग्रहालय या कला गैलरी के प्रचालन के लिए है। iv. ऐसी पुरावस्तुएं आयात किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में रजिस्ट्रीकृत हैं।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव